न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ.भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 01/2022
दायर दिनांकः 19.01.2022
निर्णय दिनांक 20.02.2024

—:अनवानः—

श्री प्रभुलाल पिता श्री मगनलाल जी जाति कोठारी आयु 66 वर्ष पैशा पेंशनर (कास्त) निवासी शीतला माता मंदिर के पास, सदर बाजार, राजनगर तहसील व जिला—राजसमंद — **अपीलांट**

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द
—— **रेस्पोडेण्ट**

अपील बनाराजगी विरुद्ध माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) श्री राजेन्द्र भारद्वाज पीठासीन अधिकारी के द्वारा मुझ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर हुए आदेश के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 6—10—2019 क्रमांक भू0अ0 2019/1477 से व्यथित हो पेश है।

उपस्थित :—
1— श्री दिलीप शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनील बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पिता श्री मगनलाल पिता कालुराम महाजन निवासी राजनगर तहसील व जिला—राजसमंद के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत पटवारी सनवाड तहसील व जिला राजसमंद के द्वारा वर्णित जाँच सहित रिपोर्ट पेश कर कार्यवाही चाही गई कि अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे, जिस पर माननीय तहसीलदार साहब राजसमंद के द्वारा सुना गया एवं पत्रावली पर साक्षियो डी, डब्ल्यू 1 स्वयं मगन लाल, व देवी लाल डी. डब्ल्यु 2, भगवान लाल, डी. डब्ल्यु 3 पेश हुए तथा बैंक से ऋण स्वीकृति के आदेश की प्रतियां पेश हुई तथा माननीय तहसीलदार साहब राजसमंद के द्वारा पत्रावली का पूर्ण अवलोकन कर दिनांक 29—03—1975 को मि. न. 172/73 नाजायज कब्जा राज, टी. एक्ट बअनवान रिपोर्ट पटवारी, सनवाड बनाम श्री मगनलाल पिता कालुराम जी महाजन निवासी राजनगर में प्रार्थी के द्वारा आ. नं. 372 पर खोदे गये निर्मित कुंआ को विनियमित योग्य मान कर 25/— रूपये शुल्क निर्धारित कर अतिक्रमी मगन लाल के नाम आ.न. 372 रकबा) 1 बिस्वा (पुराना नंबर) आ. चा. दर्ज की जाने की स्वीकृति दी

गई व पटवारी को तामील हेतु लिखा जावे तथा टी. आर. ए. को कानूनी हेतु लिखा जावे एवं पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो, यह आदेश दिनांक 29–03–1975 को पारित किया गया। इसकी पालना में उक्त अपीलार्थी प्रभु लाल ने निर्धारित राशि जमा कराई। जिसकी रसीद बुक नंबर 1 व रसीद सं. 056086 व पृष्ठ संख्या 000019 दिनांक 23–07–1975 है। जिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर है। अपीलार्थी का पिता व अपीलार्थी इस बात से निश्चित हो गये कि अंब जमीन कुआ हमारे नाम हो गया है। इसके बाद अपीलार्थी के पिता मगन लाल जी का स्वर्गवास दिनांक 26–01–1994 को हो गया तथा अपीलार्थी सरकारी नौकरी में अध्यापक होने पर व घर गृहस्थी संभालने में व्यस्त हो गया। अपीलार्थी सरकारी सेवा निवृत दिनांक 30–04–2015 को होकर अपनी सामाजिक व नैतिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया, कुआ पर प्रार्थी के पिता के जीवन काल में ही विद्युत कनेक्शन हो, सिंचाई का साधन लग गया था, कास्त नियमित रूप से हो रही है व अब वर्ष 2019 में अपने नैतिक कार्यों से मुक्त होकर पटवार खाने में माननीय तहसीलदार साहब राजसमंद के द्वारा पारित आदेश की पालना का पता किया तो पता चला कि उक्त आदेश की अभी तक पालना नहीं हुई है, जिस वजह से प्रार्थी ने दिनांक 29–01–2019 को एक प्रार्थना पत्र आदेश की पालना व रेवेन्यु रिकार्ड में अमल दरामद करने का प्रस्तुत किया, जिसकी तहसीलदार साहब राजसमंद ने मौके की पुनः जाँच रिपोर्ट मंगवाई, किन्तु दिनांक 06–10–2019 को प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को अपने क्षेत्राधिकार का नही मान कर खारिज कर दिया, जिस वजह से प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश निर्णय के विरूद्ध सच्चे एवं ठोस आधारो पर यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, राजसमंद का आदेश दिनांक 01–01–2024 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मेमो वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.19 अवैध एवं विधि विरूद्ध है ग्राम सनवाड़ के खसरा नम्बर 422 पर निर्माण कर कुआं निर्मित किया है जिसको राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम पर दर्ज करने हेतु प्रार्थना कि गयी है जिसे तहसीलदार राजसमन्द द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का मामला नहीं मानकर प्रकरण खारिज करने में त्रुटी की हैं तथा तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 141/1973 आदेश दिनांक 29.03.1975 की पालना नहीं की गयी है अतः अपील स्वीकार कर पालना करायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में स्थानीय निकाय नगर पालिका नगर परिषद राजसमन्द के नाम पर दर्ज है जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं जमाबन्दी से प्रमाणित होती है नगर परिषद को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है तथा उनकी कोई अनापत्ति भी प्रस्तुत नहीं की हुयी है। राजस्व रेकार्ड में अंकन एवं खातेदारी अधिकार केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही प्रदान किये जा सकते है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में कोई त्रुटी कारित नहीं की है साथ ही यह निवेदन किया कि उक्त आदेश के दो वर्ष से

अधिक समय पश्चात यह अपील प्रस्तुत कि है इसलिए अपील मयाद बाहर है इसी आधार पर अपील खारिज होने योग्य है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार राजसमन्द के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व ग्राम सनवाड़ के खसरा संख्या 422 को राजस्व रेकार्ड में अपने एवं मगन लाल के वारिस के नाम पर खातेदारी अधिकार अंकन हेतु पेश किया गया है। राजस्व ग्राम सनवाड़ के खसरा संख्या 422 रकबा 7 बिस्वा जमाबन्दी में स्थानीय निकाय नगर परिषद राजसमन्द के नाम पर दर्ज है जिसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है और सीधे ही प्रार्थी उक्त भूमि को अपने खातेदारी में दर्ज कराना चाहता है जिसकी अधिकारिता तहसीलदार राजसमन्द द्वारा नहीं मानते हुए प्रकरण खारिज किया गया है। अपीलार्थी ऐसी कोई कानूनी स्थिति प्रस्तुत करने में भी असफल रहें है। जिंसमें रिकॉर्ड खातेदार को सुने बिना खातेदारी प्रदान करने की अधिकारिता हो। उपरोक्त विवेचना के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

—::आदेश::—

उपरोक्त विवेचना के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, राजसमन्द को लौटायी जावे।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 20.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद